न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

82

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 642–पीबीआर/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–4–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 05/2006–07/निगरानी.

रामेश्वर दयाल पुत्र श्री तेज सिंह जाति गौंड़
निवासी अम्बाह रोड पुल तिराहा,
मुरैना जिला मुरैना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

लीलावती पत्नी रामविलास जाति ब्रा0
निवासी अम्बाह रोड पुल तिराहा
मुरैना जिला मुरैना म0प्र0 ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर ।

आदेश

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 05/2006–07 /निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–4–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में भूमि सर्वे कमांक 428 के क्षेत्रफल 555 वर्गफुट पर विकयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया । उक्त आवेदन पर से नायब तहसीलदार, वृत्त मुरैना ने आदेश दिनांक 27–6–05 को नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अपील में अनुतिवभागीय अधिकारी ने दिनांक 12–9–05 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर स्थल की जांच कराई जाकर निराकरण हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । इस पर से नायब तहसीलदार ने पुनः आदेश दिनांक 24–3–06 द्वारा आवेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर प्रमाणित किया । इस आदेश के विरूद्ध

अनावेदिका एवं अन्य व्यक्ति नवाव पुत्र चोखरिया द्वारा ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पृथक–2 अपीलें पेश की गईं जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–9–06 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्षकारों को विधिवत सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, मुरैना के समक्ष निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31–8–07 द्वारा स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया । इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित है । तहसील न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तितन के आदेश के पालन में मौजा पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 428 में विवादित प्लाट स्थित पाते हुए पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किया गया था । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः प्रकरण प्रत्यावर्तित कर न्यायिक त्रुटि की गई थी इस कारण अपर कलेक्टर ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है क्योंकि जिन बिंदुओं का निराकरण किया जा चुका हो उन्हीं के निराकरण के लिए प्रकरण का बार–बार प्रत्यावर्तन किया जाना नितांत अवैध और अनुचित है । किसी पक्षकार की कमी की पूर्ति के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता ।

4/ अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यावर्तन के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशों का पालन विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अनावेदक द्वारा जिस विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण चाहा जा रहा है उसमें सर्वे नंबर 428 का कोई उल्लेख नहीं है, इस तथ्य को अपर कलेक्टर ने अनदेखा किया गया था अतः अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी । जब तक विक्रयपत्र में संशोधन कर सर्वे कमांक अंकित नहीं कराया जाता तब तक उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा

सकता । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में दिनांक 12–9–05 के आदेश द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–6–05 को निरस्त करते हुए प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं स्थल जांच करते हुए निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । परंतु नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश का पालन किए बिना पुनः नामांतरण आदेश दिनांक 24–3–06 को पारित किये जाने पर अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 28–9–06 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में उचित एवं वैधानिक कार्यवाही की गई है इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं था इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण की वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार कर अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के अवैधानिक एवं अनुचित आदेश की पुष्टि की गई है इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया और ना ही पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर पेश आपत्ति का निराकरण नहीं किया तथा बिना निराकरण किए तथा बिना सुनवाई के विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो अवैध एवं शून्य है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–2008 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल,म्ध्यप्रदेश,
ग्वालियर